

राजस्थान सरकार  
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: [jdacad1960@gmail.com](mailto:jdacad1960@gmail.com) Ph 0141-2706550

क्रमांक: एफ7(4)अकाद/आकाशि/Online/इंडक्शन/2021/67

दिनांक: 23 फरवरी, 2021


प्राचार्य,  
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान

विषय:- ऑनलाइन इंडक्शन/ओरियंटेशन कोर्स में भाग लेने की अनुमति बाबत।  
संदर्भ:- विभाग के पत्रांक एफ 7(4) यु.जी.सी./अकाद/आकाशि/2020/1265 दिनांक 02.11.2020  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाइन इंडक्शन/ओरियंटेशन कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को अनुमति जारी की जाती है-

क. स.	नाम (सह/सहायक आचार्य) श्री/श्रीमती/सुश्री/डॉ.	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स जिसमें भाग लेना चाहते हैं।	कोर्स की अवधि	संस्थान जहाँ से कोर्स किया जाना है।
1	अशोक कुमार	राज.विज्ञान	राज.महा.पोकरण	इंडक्शन/ओरिन्टेशन	24.02.2021 से 26.03.2021 तक	कुमायूँ विश्वविद्यालय नैनीताल
2	श्रवण कुमार खीचड	इतिहास	राज.महा.लक्ष्मणगढ सीकर	इंडक्शन/ओरिन्टेशन	24.02.2021 से 26.03.2021 तक	कुमायूँ विश्वविद्यालय नैनीताल
3	राकेश कुमार	राज.विज्ञान	राज.महा.लक्ष्मणगढ सीकर	इंडक्शन/ओरिन्टेशन	24.02.2021 से 26.03.2021 तक	कुमायूँ विश्वविद्यालय नैनीताल
4	महिपाल सिंह लामरोर	विधि	राज.पी.जी.विधि महा.भीलवाडा	इंडक्शन/ओरिन्टेशन	24.02.2021 से 26.03.2021 तक	कुमायूँ विश्वविद्यालय नैनीताल

- उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए सह/सहायक आचार्यों को अनुमति देने से पूर्व प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें:-
1. प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो
  2. संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
  3. बेवसाईट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।

  
(डॉ सौमित्र नाथ झा)  
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)